

पत्र संख्या-विधि-4(1)-पंजीयन (2015-16) परिपत्र भाग-3 / 516/15/6021 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)

लखनऊ दिनांक 26 जून , 2015

समस्त जौनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर
समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय के परिपत्र सं0-1972/ 1011101 दिनांक 21-3-11, 289 /1213014 दिनांक 22-5-12 ,844/ 12132053/ दिनांक 5-9-12 तथा 111/1314012 दिनांक 24-4-13 के द्वारा डीमंड कर निर्धारण के विषय में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं । दाखिल वार्षिक रिटर्न की जाँच पर पायी गयी कमियों के आधार पर नियम-45(13) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली नोटिस की प्रक्रिया को ऑन लाइन जारी किये जाने की व्यवस्था सॉफ्टवेयर में की गयी है। यह प्रक्रिया निम्नवत है :-

- (1) R5A generate करने से Notice generate करने की प्रक्रिया assessment module में पूर्ववत रहेगी ।
- (2) नियम 45(13) के अन्तर्गत नोटिस को सलेक्ट करने पर अलग पेज खुलेगा जिसमें कर निर्धारण वर्ष रसीद संख्या व दिनांक भरने के पश्चात् नोटिस किन कारणों से दी जा रही है उसे सलेक्ट करने की व्यवस्था है । इसमें एक से अधिक कारण को भी सलेक्ट किया जा सकता है।
- (3) इसके पश्चात् Submit बटन पर क्लिक करने पर नोटिस जनरेट हो जायेगी ।

अतः इस सम्बंध में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1-7-2015 से नियम 45(13)के अन्तर्गत समस्त नोटिस विभागीय सॉफ्टवेयर से अनिवार्य रूप से जारी की जायेगी ।

अग्रेतर यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियम 45(13) के अन्तर्गत नोटिस सुस्पष्ट आधार होने पर ही जारी की जाये तथा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि किसी प्रकरण में बिना सुस्पष्ट आधार के उक्त नियम 45(13) के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी है तो सम्बंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

यह पत्र कमिशनर वाणिज्य कर , उ० प्र० के आदेश के क्रम में प्रेषित है ।

भवदीय,


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ